साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 10-16 मार्च 2025 वर्ष-10, अंक-47

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

भोपाल में आभार सम्मेलन | सीएम डॉ. मोहन यादव की एक और घोषणा

किसानों को 5 रुपए में मिलेगा बिजली का स्थायी कनेक्शन, अभी सालाना 7.5 हजार चुकाने पड़ते हैं

-भारत की साख बढ़ाने किसानों को सुखी-समृद्ध बनाना जरूरी

-सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से बिजली खरीदेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के किसानों के हक में लिए गए फैसलों को लेकर सीएम डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया गया। सीएम हाउस के समत्व भवन में किसान आभार सम्मेलन हुआ। समारोह में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे किसानों ने सरकार की विभिन्न किसान हितैषी नीतियों, निर्णयों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वहीं सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अब 5 रुपए में किसानों को बिजली का स्थाई कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी। इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। सीएम ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को इसके लिए व्यवस्था करने और तत्काल लागू करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सीएम ने कहा कि तीन साल में 30 लाख सोलर पंप किसानों को देंगे और किसानों से सरकार बिजली खरीदेगी।

हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएं। तीन साल में सभी तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 24 घंटे किसानों को बिजली मुहैया रहेगी। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता और जीवनदाता हैं। किसान की हर समस्या का हल है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि पूरा विश्व श्रद्धा से पीएम की ओर देख रहा है।

- तीन हॉर्स पॉवर वालों को सोलर पंप की 5 फीसदी राशि, 5 से 7.50 हॉर्स पॉवर के लिए 10 प्रतिशत राशि देना होगी
- गौ-शाला चलाने वालों को प्रति गाय 20 के स्थान पर 40 का अनुदान देकर गौ-शालाओं को सक्षम बनाया जाएगा
- गौ-माताओं के आश्रय के लिए भोपाल सहित सभी बड़ी नगर निगमों में 10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं बनाई जाएगी
- खेती को बेहतर बनाने, नवीन तकनीक अपनाने और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का दिलाया संकल्प
- गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 करने और धान उपार्जन पर 4 हजार प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि से खुश किसान

कांग्रेस ने की गांवों की अनदेखी

सीएम ने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार में यह बेशर्मी से कहा जाता था कि गांवों में सड़कों की क्या जरूरत है। इन्होंने कभी गांव नहीं देखा, जबकि भारत को समझने के लिए गांव देखना जरूरी है। सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों की समृद्धि से ही देश का विकास संभव है। किसान, गरीब, युवा, महिला- ये चार जातियां हैं जिनके बारे में पीएम मोदी हमेशा बात करते हैं।

केन-बेतवा से अब तस्वीर बदल रही

सीएम यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय किसानों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वह 55 साल बाद भाजपा सरकार में किसानों को दिए गए हैं। जब भाजपा सरकार आई, तब गांवों में सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था की गई। कांग्रेस के शासन में यह सब नहीं था। दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कहा था कि शिप्रा में नर्मदा का जल आ ही नहीं सकता। कांग्रेस के लोग कहते थे कि नदी जोड़ने का प्रयास असंभव है और इससे प्रकृति बिगड़ जाएगी। लेकिन हमने यह किया और कोर्ट में केस भी जीते।

हर निकाय में बनेगी गौशाला

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 2003 तक प्रदेश में गेहूं खरीदी का सरकारी दाम मात्र 447 था, जिसे बढ़ाकर हमने 2600 रुपए तक पहुंचाया है। धान उपार्जन करने वाले किसानों को भी इसी सत्र से उनकी फसल का दाम 4000 क्विंटल मिलने लगेगा। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। दूध पर बोनस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की मंशा सरकार की है। प्रदेश की सभी निकायों में गौशाला बनाई जाएंगी। इसके लिए दिए जाने वाले खर्च को भी दुगुना किया जा रहा है। उन्नत कृषि के लिए अच्छे बीच लाए जाएंगे।

एक और नदी जोड़ो अभियान

सीएम डॉ. मोहन यादव ने चंबल क्षेत्र की स्थिति का भी जिक्र करते हुए कहा कि पहले वहां बंदूकें उठाई जाती थीं, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आ रहा है। प्रदेश का कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर जगह पानी पहुंचाया जाएगा। हम एक और नदी जोड़ो अभियान जल्द शुरू करेंगे। प्रदेश में जल्दी तीसरा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट आकार लेगा। मौजूदा दो प्रोजेक्ट ने किसानों की जिंदगी बदलने की हालात बना दिए हैं।

फैसले का अखबार से चलता है पता

वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार किसानों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा उनके लिए सोचती है। उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री को बाद में अखबार से पता चलता है कि क्या फैसला हो गया। सीएम ने कहा कि इस बार खरीदी के दौरान गर्मी में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पानी और छाया की व्यवस्था केंद्रों पर की जाएगी। खरीदी 15 मार्च से 5 मई तक होगी।

चेतावनी जारीः मार्च में ही बनेंगे लू जैसे हालात , 80 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया

सावधान! मध्य प्रदेश में 15 फीसदी गिरेगा गेहूं का उत्पादन

-तापमान बढ़ने पर समय से पहले पकने की आशंका
-एक्सपर्ट्स की सलाह- अब किस्म बदलने का समय

भोपाल। जागत गांव हमार

मौसम का सबसे बड़ा ग्राहक किसान होता है। मौसम जब मौज में होता है, तो किसानों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। मौसम का मिजाज बिगड़ने का सीधा प्रभाव भी सबसे पहले किसान पर ही होता है। मौसम विभाग ने मार्च में ही लू जैसे हालात बनने की चेतावनी दी है। आशंका है कि अगर मार्च में ही इतनी गर्मी बढ़ी तो गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे गेहूं का उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। भोपाल के ग्राम सलैया निवासी कामता पाटीदार ने बताया कि उन्होंने विदिशा जिले के ग्राम दुलई में अपनी 50

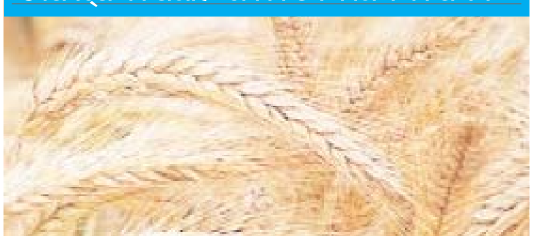

एकड़ जमीन में गेहूं की बोवनी की है। धान की फसल लेने के कारण बोवनी जनवरी में हो सकी थी। अभी खेत में गेहूं की हरी फसल खड़ी है। अब बढ़ती धूप देखकर फसल के जल्दी पकने की आशंका है। खजूरीकला के किसान मिश्रीलाल राजपूत ने बताया कि जनवरी में ठीक ठाक ठंड पड़ने के कारण इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन हरी फसल के दौरान धूप के तीखे तेवर देखकर अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों ने वर्ष 2024-25 के रबी सीजन में 138.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल लगाई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा गेहूं का है। सामान्य मौसम में सरकारी एजेंसियों ने इस साल 80 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है।

> मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान धान की खेती की तरफ बढ़ा है। धान की कटाई दिसंबर तक होने के कारण गेहूं की बोवनी भी देरी से हो पाती है। इस वजह से अभी गेहूं की फसल हरी है। यह समय दाना के परिपक्व होने का है। तापमान बढ़ने के कारण फसल जल्दी पकने लगेगी। इससे गेहूं का दाना पतला रह जाएगा। गेहूं के उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट की संभावना है।
>
> **- डॉ. जीएस कौशल, पूर्व संचालक, कृषि विभाग, भोपाल**

ईओडब्ल्यू ने की 150 समितियों और 140 वेयरहाउस की जांच, 19000 क्विंटल धान के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश

पनागर, कटंगी और मझौली थानों में एफआईआर दर्ज, मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया

मप्र के 12 जिलों में 5 हजार करोड़ का धान घोटाला 535 क्विंटल धान के स्थान पर भूसी, मचा हड़कंप

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में धान उपार्जन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने 25 टीमों का गठन कर प्रदेशभर में कार्रवाई की है। इन टीमों ने प्रदेश के 12 जिलों में 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउस की जांच की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर की गई कार्रवाई में कई समितियों में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें पदाधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस और राइस मिलों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। अब तक की जांच में 19,910.53 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई है, जिससे शासन को करीब पांच हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। दरअसल, शासन द्वारा धान का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है, लेकिन इस बार कई स्थानों पर धान उपार्जन में गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थीं। उपार्जन समितियों, कुछ ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस और राइस मिलों द्वारा फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें सामने आने के बाद पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश ईओडब्ल्यू को दिए थे।

सतना..धान के स्थान पर भूसी

सतना जिले के कनक वेयर हाउस में 535 क्विंटल धान के स्थान पर भूसी पाई गई। वेयर हाउस में सेवा सहकारी समिति पिंडरा एवं सेवा सहकारी समिति हिरौंदी जिला सतना द्वारा धान का भण्डारण किया गया है। ईओडब्ल्यू को कई समितियों में यह भी पता चला कि किसानों का फर्जी पंजीयन कर बिना धान उपार्जित किए ही ई-उपार्जन पोर्टल पर रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाता था। इसके बाद ट्रांसपोर्ट और वेयरहाउस के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी भुगतान प्राप्त किया जाता था। कार्रवाई लगातार जारी है। ईओडब्ल्यू द्वारा ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेस और राइसमिलों की भूमिका के संबंध में जांच की जा रही है।

यहां मारा छापा

ईओडब्ल्यू द्वारा 25 टीमें बनाकर प्रदेशव्यापी कार्रवाई की गई। बालाघाट, जबलपुर, डिंडोरी, रीवा, सतना, मैहर, सागर, पन्ना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, श्योपुर इत्यादि 12 जिलों की 150 उपार्जन समितियों एवं 140 वेयर हाउस को चेक किया गया।

खरीदी से जुड़े दस्तावेज जब्त

ईओडब्ल्यू की टीम ने पाटन के सरोंद और भेड़ाघाट के तेवर स्थित खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। टीम ने धान खरीदी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए और समितियों के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस मामले में सोसाइटी, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत सामने आई है। जबलपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर पनागर, कटंगी और मझौली थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में समितियों के प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, ऑपरेटर, सर्वेयर और वेयर हाउस के संचालक शामिल हैं। ईओडब्ल्यू अब यह पता लगा रही है कि जबलपुर समेत संभाग के अन्य जिलों में धान उपार्जन घोटाले में और कौन-कौन शामिल है।

सीएम ने दिखाई सख्ती..भ्रष्टों पर कसी नकेल

मुख्यमंत्री इस घोटाले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ईओडब्ल्यू की टीमें लगातार जांच कर रही हैं और संभावना है कि अन्य जिलों में भी बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। इस मामले में आगे भी कई गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। अब तक 79 से अधिक उपार्जन समिति पदाधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस और राइस मिलों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

एमपी-राजस्थान के गले तो गुजरात के खेतों को कर रही तर

मां की तरह पाल रही नर्मदा

भोपाल। जागत गांव हमार

नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। मप्र के विकास में अहम योगदान इस नदी का माना जाता है। प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा नदी तीन हजार किलोमीटर लंबाई में बहती है और हरियाली के साथ आसपास के क्षेत्रों की समृद्धि और विकास को फैलाती है। नर्मदा नदी इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित कई शहरों और गांवों की प्यास बुझा रही है। नर्मदा मप्र में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर, महाराष्ट्र-गुजरात में 42 किलोमीटर एवं गुजरात में 161 किलोमीटर प्रवाहित होकर कुल 1312 किलोमीटर पश्चात् अंततः गुजरात में भड़ूच के निकट खंभात की खाड़ी के अरब सागर में समाहित होती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक में है। इस नदी पर गांधी सागर, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर जैसे बड़े बांध इस नदी पर बने हैं। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की प्यास नर्मदा नदी 47 सालों से बुझा रही है। 1978 में नर्मदा का पहले चरण के कदम इंदौर में पड़े थे। इसके बाद दो चरण और तैयार हुए। अब चौथे चरण को लाने की तैयारी हो रही है। हर दिन तटबंधों को लांघ कर मां नर्मदा 70 किलोमीटर की यात्रा करती है। 540 एमएलडी पानी हर दिन इंदौर की 40 लाख की आबादी की प्यास बुझाता है।

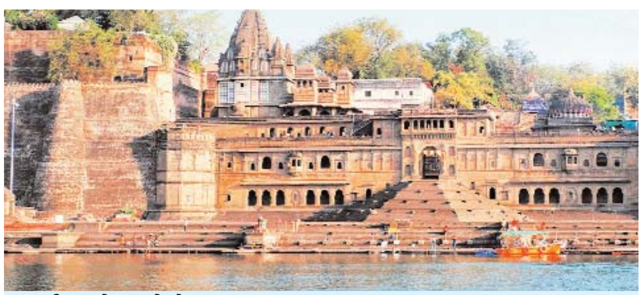

नर्मदा को लाने के लिए इंदौर में आंदोलन

इंदौर में 60 के दशक में सूखा पड़ गया था। यशवंत सागर, बिलावली जैसे जल स्त्रोत सूख गए थे। इंदौर शहर फैल रहा था, लेकिन शहर के पास कोई बड़ी जलराशि नहीं थी। तब शहर के लोगों ने नर्मदा को इंदौर लाने की मांग उठाई। इस महंगी योजना को अमला में लाना सरकार के लिए आसान नहीं था। तब इंदौर में दो माह से भी ज्यादा समय तक लंबा आंदोलन चला। सभी दल एकजुट हो गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और नर्मदा को इंदौर लाने की घोषणा हुई। आंदोलन से जुड़े अभ्यास मंडल के शिवाजी मोहिते बताते हैं कि यदि नर्मदा जल इंदौर नहीं आता तो इंदौर वैसा विकसित नहीं होता, जैसा आज है। लोग पलायन करने लगते, बड़े उद्योग नहीं आते। पीथमपुर जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र को नर्मदा का पानी पहुंचाया जा रहा है।

नर्मदा-शिप्रा में लोग लगाते हैं डुबकी

12 वर्षों में एक बार लगने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने आते हैं। शिप्रा नदी प्रदूषित हो चुकी है। दस साल पहले नर्मदा नदी का जल शिप्रा में मिलाया गया। शिप्रा नदी के उद्गम स्थल उज्जैनी में बड़वाह से 60 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाकर नर्मदा जल छोड़ा गया। इससे शिप्रा नदी अपने उद्गम स्थल से पुर्नजीवित हुई। पिछले सिंहस्थ में नर्मदा जल में ही लाखों भक्त ों ने स्नान किया था। नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग और महेश्वर धार्मिक नगरी भी बसी हुई है। नर्मदा नदी से गंभीर नदी को भी लिंक किया गया है। इंदौर के अलावा उज्जैन और देवास शहर की प्यास मां नर्मदा बुझाती है।

नर्मदा का धार्मिक महत्व

नर्मदा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। नर्मदा भारत की पांचवी बड़ी नदी मानी जाती है। पर्वतराज मैखल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वर्णन रामायण, महाभारत आदि अनेक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। भारत में चार नदियों को चार वेदों के रूप में माना गया है। गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामदेव। सामदेव कलाओं का प्रतीक है।

नर्मदा से चार राज्यों को फायदा

नर्मदा नदी पर इंदिरा सरोवर (खंडवा), सरदार सरोवर (नवेगाव, गुजरात), महेश्वर परियोजना (महेश्वर) बरगी परियोजना (बरगी, जबलपुर), ओमकरेश्वर परियोजना बांध निर्मित हैं। सरदार सरोवर बांध के बन जाने के बाद कई राज्यों को सीधा फायदा हुआ है। इसके पानी से गुजरात के खेतों सिंचाई में बड़ी मदद मिली है। लंबी-लंबी नहरें बनाकर गुजरात की 800,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है। वहीं राजस्थान की 2,46,000 हेक्टेयर भूमि नर्मदा के पानी से सिंचित हो रही है। गुजरात में 485 किमी की नहरें तो राजस्थान में 75 किमी लंबी नहरों से नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। वहीं सरदार सरोवर बांध से उत्पन्न बिजली भी तीन राज्यों को रोशन करने में मदद कर रहा है। बिजली उत्पादन का 57 प्रतिशत महाराष्ट्र को, 27 प्रतिशत मध्य प्रदेश तो गुजरात को 16 फीसदी दिया जा रहा है।

कीमतें अभी भी छू रहीं आसमान

नई आवक शुरू होते ही केंद्र ने ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री कर दी बंद

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय खाद्य निगम के जरिए ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत गेहूं की बिक्री पर अब विराम लगाया दिया है। सरकार ने आगे नया टेंडर नहीं जारी करने का फैसला किया है। केंद्र ने इस वित्त वर्ष में गेहूं की कीमतें नियंत्रित करने के प्रयास में 4 दिसंबर 2024 से गेहूं की साप्ताहिक नीलामी शुरू कर ट्रेडर्स/प्रोसेसर्स/मिलर्स के सामने 3 मिलियन टन गेहूं की पेशकश की, जिसमें से खरीदारों ने बोली लगाकर 2.97 मिलियट टन गेहूं खरीद लिया। हालांकि, गेहूं की कीमतों में कोई खास कमी नहीं आई और भाव ऊंचा ही चल रहा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में केंद्र ने लगभग 10 मिलियन टन गेहूं की बिक्री की थी। एफसीआई ने 1 लाख टन गेहूं से नीलामी की शुरुआत की और बाद में यह मात्रा 0.5 मिलियन टन तक बढ़ा दी। वहीं, नीलामी में प्रोसेसर्स को फायदा पहुंचाते हुए उनकी व्यक्तिगत खरीद की लिमिट 100 टन से बढ़ाकर 400 टन कर दी। हालांकि, इसमें व्यापारियों को नीलामी में शामिल नहीं किया गया।

नीलामी में ज्यादा कीमत पर बिका गेहूं

हरियाणा में 2,880 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई, जबकि पंजाब में 2,850 रुपए प्रति क्विंटल और बिहार में 2,953 रुपए क्विंटल दर्ज की गई। अफसरों ने कहा कि प्रोसेसर में गेहूं की बहुत डिमांड थी, जिसके चलते लगभग गेहूं का उठान हो गया और बिक्री भी आरक्षित से ज्यादा कीमत पर हुई। हालांकि, सरकार थोड़ी हद तक कीमतों को कंट्रोल कर सकी। एफसीआई ने इस वर्ष 2,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं बेचा, जबिक औसत आरक्षित मूल्य 2,464 रुपए प्रति क्विंटल था।

जम्मू-कश्मीर में सबसे ऊंची बोली

5 मार्च को हुई आखिरी नीलामी में उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में पिछले हफ्ते के मुकाबले न्यूनतम बोली की कीमत में 10-150 रुपये प्रति क्विंटल की लिमिट में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में उच्चतम बोली मूल्य में 10 से 58 रुपए प्रति क्विंटल की लिमिट में बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर पिछली नीलामी के उच्चतम बोली मूल्य की बात करें तो गेहूं उत्पादक राज्यों में यह 2,540-3,009 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रही। इसमें मध्य प्रदेश में 2,540 रुपए प्रति क्विंटल तो वहीं उत्तराखंड में 3,009 रुपए प्रति क्विंटल उच्चतम बोली लगी। वहीं, सबसे ऊंची बोली 3,275 रुपए प्रति क्विंटल जम्मू और कश्मीर में लगी।

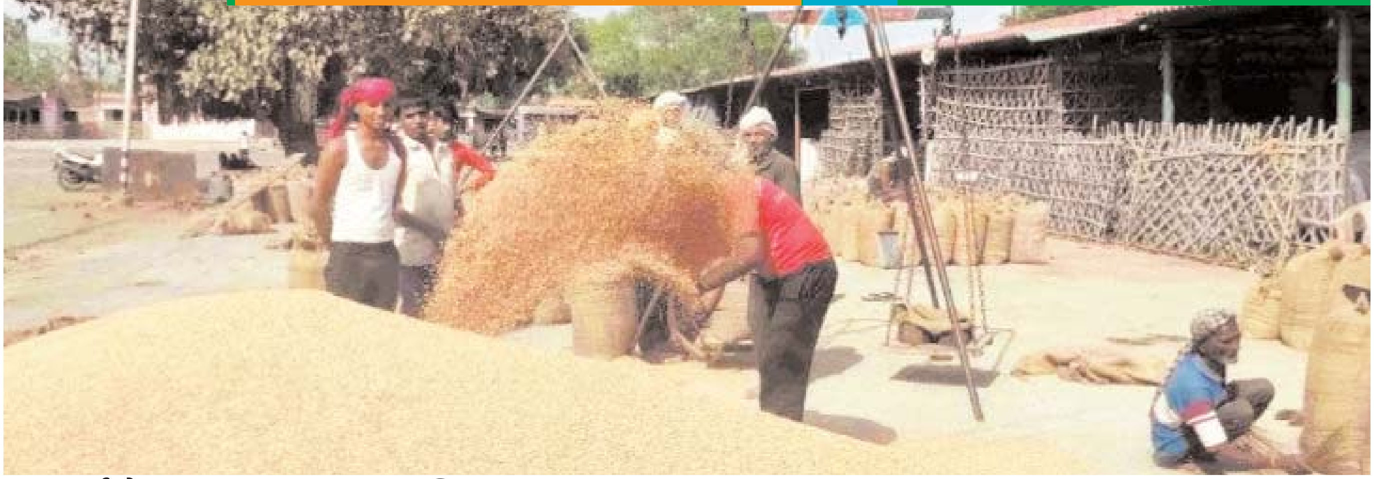

15 मार्च से 2600 रुपए में होगी गेहूं खरीद 15 मार्च से 2600 रुपए में होगी गेहूं खरीद

गेहूं किसानों को सरकार देगी 1400 करोड़ मध्यप्रदेश में तय किया गया खरीदी टारगेट

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से गेहूं खरीद की मात्रा तय कर दी है। इसके साथ ही राज्य कोष से किसानों को उपज के बदले किए जाने वाले भुगतान की राशि भी निर्धारित की है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में किसानों से उनकी उपज खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए सरकारी मंडियों और क्रय केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं, धान किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में देने के लिए 480 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राज्य में गेहूं किसानों से खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने रबी मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस भुगतान और सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि 125 रुपए से के स्थान पर राशि में बढ़ाते हुए 175 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है।

80 लाख मीट्रिक टन खरीदेगी सरकार

किसानों से गेहूं की खरीद का टारगेट 80 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। किसानों को गेंहू के भुगतान के लिए राज्य के कोष से 1400 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हुई बैठक में कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना और कृषि विभाग के अधिकारियों को मंडियों में सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल रखा है और राज्य सरकार ने इस राशि में 175 रुपए की बढ़ोत्तरी बोनस के रूप में की है।

धान किसानों को 480 करोड़ मिलेगा प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धान खरीद पर किसानों को 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धान उपार्जन के तहत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 में धान की बिक्री करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए के हिसाब से 6.70 लाख लाख किसानों को 12.20 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर में पैदा की गई धान पर राज्य सरकार 480 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पांच लाख किसानों का पंजीयन

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए तैयारी हो चुकी है। फिलहाल इसका पंजीयन हो रहा है। 5 लाख से ज्यादा किसानों ने अभी तक पंजीयन करा लिया है। 15 मार्च से खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन सिहोर में होता है। वहां 40 से ज्यादा गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए है। अफसरों ने कहा कि गेहूं की खरीदी एफएक्यू मानको के हिसाब से होगी। अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक मिलेंगे। इंदौर में अभी केंद्रों को नहीं बनाया गया है। अगले सप्ताह तक जिले में केंद्रों की घोषणा हो जाएगी। इस बार गेहूं का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और अच्छे भाव मिलने की उम्मीद के कारण किसान सरकारी गेहूं खरीदी केंद्रों में दिचलस्पी ले रहे है। सरकार 2425 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी और 175 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस भी दिया जाएगा।

31 मार्च तक हो सकेंगे पंजीयन

गेहूं खरीदे के लिए सरकार ने 31 मार्च तक की समयसीमा तय की है। अभी तक 5.17 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। यह आंकड़ा दस लाख से उपर जाने की उम्मीद है। सीहोर में सबसे ज्यादा 59 हजार किसानों ने पंजीयन कराया है। मालवा निमाड़ में इंदौर, उज्जैन संभाग के कई किसान गेहूं का उत्पादन करते है, लेकिन देशभर में सबसे ज्यादा सिहारो का गेहूं मशहूर है।

किसानों की आईडी बनाने का टारगेट

इधर, राज्य में किसानों की एक करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 58 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। टारगेट को पूरा करने के लिए कलेक्टरों को जिलों में कैम्प लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार और किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री-स्टेक योजना के तहत प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत हर किसान और भूमिस्वामी को एक यूनीक आईडी प्रदान की जा रही है। इससे किसानों को ऑनलाइन लोन प्रोसेस पूरी करने में आसानी होगी। सरकार के लिए भी हितग्राही योजनाओं के लक्ष्य निर्धारण और सत्यापन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी और भू-अधीक्षक को सहायक जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। सहायक नोडल अधिकारी कैंप की जानकारी अपडेट करने, समन्वय और अधिकारियों के दौरे की व्यवस्था की जाएगी। शिविर आयोजित कर आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। हर कैम्प में सरकार द्वारा 15 हजार रुपए दिए जाएंगे।

मांग और दाम बढ़ने से किसान खुश

इस बार प्रदेश में बढ़ेगी ड्यूरम गेहूं की पैदावार

इधर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के इंदौर क्षेत्रीय स्टेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश में रबी सीजन के दौरान अच्छे मौसम की वजह से ड्यूरम गेहूं की पैदावार 90 लाख टन तक बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश देश में ड्यूरम गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस गेहूं की क्वालिटी बेहद अच्छी होती है जिसकी मांग देश-विदेश में हमेशा देखी जाती है। आईएआरआई के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जंग बहादुर सिंह ने बताया कि चालू रबी सीजन में राज्य में करीब 16 लाख हेक्टेयर में ड्यूरम गेहूं की बुवाई हुई है और इसका उत्पादन बढ़कर 90 लाख टन तक पहुंच सकता है। ड्यूरम गेहूं का इस्तेमाल सूजी, दलिया और पास्ता बनाने में किया जाता है।

अच्छे मौसम से बढ़ेगा उत्पादन- जंग बहादुर सिंह ने कहा कि इस रबी सीजन में ड्यूरम गेहूं की फसल को बहुत फायदा हुआ है। खासकर रात के तापमान के कम रहने से. समय पर बुवाई और पिछले अक्टूबर तक बारिश ने पैदावार को बढ़ावा दिया। कम से कम 15 लाख हेक्टेयर में ड्यूरम गेहूं की खेती की गई थी और पिछले रबी सीजन में इसकी पैदावार लगभग 80 लाख टन थी।

मालवी या कठिया गेहूं

ड्यूरम गेहूं को आमतौर पर मालवी या कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है और इस किस्म के दाने अन्य किस्म के गेहूं की तुलना में अधिक सख्त होते हैं। सिंह ने कहा कि पास्ता, दलिया और सूजी बनाने के लिए बेहतर माने जाने वाले ड्यूरम गेहूं की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है। मध्य प्रदेश के किसान इसकी खेती में अधिक दिलचस्पी से रहे हैं।

तीन जिलों में ज्यादा खेती

जंग बहादुर ने कहा कि इंदौर, उज्जैन और धार जिले ड्यूरम गेहूं के सबसे बड़े उत्पादकों में गिने जाते हैं, जो राज्य में 50 प्रतिशत फसल उगाते हैं। इन इलाकों के किसानों में इस बार बहुत खुशी देखी जा रही है क्योंकि ड्यूरम यानी कठिया गेहूं की मांग बढ़ने के साथ ही उसकी पैदावार में भी तेजी देखी जा रही है। इसका भाव भी बाकी गेहूं से अधिक होता है। इसलिए किसानों को अच्छी कमाई की उम्मीद दिख रही है।

पूरी दुनिया में इसकी मांग

ड्यूरम गेहूं को पास्ता गेहूं या मैकरोनी गेहूं भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह के खाद्य पदार्थ इस गेहूं से अधिक बनाए जाते हैं। सामान्य गेहूं के बाद दूसरे नंबर पर ड्यूरम गेहूं की खेती सबसे अधिक की जाती है। हालांकि पूरी दुनिया में खेती देखें तो ड्यूरम का योगदान मात्र 5 से 8 परसेंट है। यही वजह है कि कम खेती और अधिक मांग की वजह से इसके दाम किसानों को अच्छे मिलते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसकी खेती अधिक होती है।

डॉ.शिवम सिंह मेहरोत्रा
पशुपालन एवं डेरी
विभाग मप्र शासन

पशु बीमा के फायदे और प्रक्रिया

आज के समय में पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है, जो किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन-यापन का मुख्य स्रोत है। पशुओं का पालन न केवल एक आर्थिक आवश्यकता है, बल्कि कृषि कार्यों में भी इनकी अहम भूमिका होती है। हालांकि, किसी भी व्यवसाय की तरह, पशुपालन में भी कई जोखिम होते हैं, जैसे कि पशु की बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाएं। इन जोखिमों से बचने के लिए, पशु बीमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण साबित हो सकता है। पशु बीमा, खासतौर पर किसानों और पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

आर्थिक सुरक्षाःपशु बीमा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पशु की मृत्यु, दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बीमित पशु की कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो बीमा कंपनी उसके मूल्य का कुछ हिस्सा या पूरी राशि का भुगतान करती है। इससे किसान या पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलती है।

पशु की बीमारी और दुर्घटना से बचाव: जैसे इंसान के इलाज का खर्चा बढ़ सकता है, वैसे ही पशुओं की बीमारी और दुर्घटना के इलाज में भी काफी खर्चा आता है। पशु बीमा के तहत, पशु की बीमारी या दुर्घटना के इलाज का खर्च बीमा कंपनी उठाती है। इससे पशुपालकों को इलाज के खर्च को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती।

ऋण की सुविधा: पशु बीमा होने से किसानों और पशुपालकों को बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। बीमित पशु को संपत्ति के रूप में रखा जा सकता है, जिससे ऋण लेने में सहूलियत होती है। यह ऋण उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने और सुधारने में मदद करता है।

वित्तीय जोखिम से सुरक्षा: प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप आदि के कारण पशुओं की मृत्यु हो सकती है। ऐसे में, पशु बीमा इन आपदाओं से उत्पन्न होने वाले वित्तीय संकट को कम करता है। बीमा के तहत, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है, जिससे पशुपालक को अधिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता।

मनोबल में वृद्धि: जब पशुपालकों को यह विश्वास होता है कि उनके पास बीमा कवरेज है, तो उनका मनोबल ऊंचा रहता है। वे बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनके व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद, उनके पास एक वित्तीय सुरक्षा जाल होता है।

पशु बीमा की प्रक्रिया- पशु बीमा की प्रक्रिया सरल और स्पष्ट होती है। इसे पाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:

बीमा कंपनी का चयन: सबसे पहले, पशुपालक को एक उपयुक्त बीमा कंपनी का चयन करना होता है। भारत में कई बीमा कंपनियां, जैसे LIC (Life Insurance Corporation), ICICI Lombard, Bajaj Allianz, आदि, पशु बीमा की पेशकश करती हैं। प्रत्येक कंपनी के पास विभिन्न योजनाएं और शर्तें होती हैं, इसलिए एक अच्छे विकल्प का चुनाव करना महत्वपूर्ण है।

बीमा पॉलिसी का चयन: पशुपालक को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बीमा पॉलिसी का चयन करना होता है। आमतौर पर, बीमा पॉलिसी पशु की उम्र, प्रजाति, और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। कुछ पॉलिसी पूरी तरह से बीमारी और दुर्घटना को कवर करती हैं, जबकि कुछ पॉलिसी केवल प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर करती हैं।

बीमा प्रीमियम का भुगतान: पशु बीमा लेने के बाद, पशुपालक को निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम मासिक, वार्षिक या अन्य किसी अवधि के अनुसार हो सकता है। प्रीमियम की राशि पॉलिसी के प्रकार और बीमित पशु की कीमत पर निर्भर करती है।

पशु की स्वास्थ्य जांच और मूल्यांकन: बीमा प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी आमतौर पर पशु की स्वास्थ्य जांच और मूल्यांकन करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पशु स्वस्थ है और किसी प्रकार की बीमारियों का शिकार नहीं है। इसके बाद बीमा पॉलिसी जारी की जाती है।

बीमा पॉलिसी का दस्तावेजीकरण: बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें सभी शर्तों और लाभों का उल्लेख होता है। यह दस्तावेज़ पशुपालक को सौंपा जाता है, जो इसे सुरक्षित रखता है।

दावा करने की प्रक्रिया: यदि बीमित पशु किसी कारणवश मर जाता है या बीमार हो जाता है, तो पशुपालक को बीमा कंपनी में दावा करना होता है। इसके लिए, पशुपालक को उचित दस्तावेज और चिकित्सा रिपोर्ट पेश करनी होती है। कंपनी के द्वारा किए गए मूल्यांकन के बाद, बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। पशु बीमा किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा उपकरण है। यह उन्हें पशुपालन से संबंधित किसी भी अप्रत्याशित घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है। पशु बीमा से न केवल पशुपालकों को मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह उनके व्यवसाय की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। हालांकि, सही बीमा योजना का चयन और बीमा की प्रक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने पशु के लिए सही बीमा कवर प्राप्त कर सकें और किसी भी संकट के समय वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें।

गरीब मुस्लिमों के हित में है वक्फ बिल...

वक्फ की आड़ में कई जगहों पर भू-माफिया पैदा हो गए जिन्होंने कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया और सरकार से मिलने वाले हर लाभ का खुद फायदा उठाने लगे। भू-माफिया वक्फ की जमीन को निजी संपत्ति बनाकर बेच रहे हैं और नाम मात्र के भाव में लीज कराकर बड़े-बड़े शापिंग कांप्लेक्स बनाकर मोटा किराया वसूला रहे हैं।

हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड में व्याप्त अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रविधानों को हटाने की बात करता है। सरकार का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार होगा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण पाना, वक्फ संपत्तियों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग हितधारक समुदाय के लाभ के लिए ही किया जा सके। सरकार के इन दावों के बावजूद विपक्ष एवं उलेमाओं का एक वर्ग और तथाकथित सेक्युलर-लिबरल बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बड़ा प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस विधेयक का विरोध करने वालों के अपने कुछ तर्क हैं और आशंकाएं भी। वे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। उनका मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है। इस विधेयक के संदर्भ में सत्तापक्ष और विपक्ष के तो अपने-अपने तर्क हैं ही, जिस मुस्लिम समुदाय के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उसके भीतर भी इस विधेयक को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मुस्लिम समाज को एक समतावादी समाज माना जाता है, लेकिन व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज में भी भेद और स्तरीकरण दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था का अस्तित्व है। इसमें तीन प्रमुख श्रेणियां देखी जाती हैं। अशराफ उच्च वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका दावा है कि वे अरबी, तुर्की, फारसी या अफगान वंश से संबंधित हैं। अशराफ में सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी उच्च जातियां आती हैं। अजलाफ निम्न वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका संबंध परिवर्तित हिंदुओं से है। इस श्रेणी में कारीगर, किसान और श्रमिक वर्ग के मुसलमान शामिल होते हैं। अरजाल सबसे निचली श्रेणी के मुसलमान माने जाते हैं, जो मुखत: दलित जातियों से मतांतरित हुए हैं। इन्हें समाज में सबसे अंतिम पायदान पर रखा जाता है। नीचे के इन दो मुस्लिम वर्गों को मिलाकर पसमांदा मुस्लिम समूह की रचना होती है। पसमांदा मुस्लिम एक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत श्रेणी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को संदर्भित करती है। पसमांदा शब्द का अर्थ है पीछे छूट गए या वंचित। यह उन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अधिकतर पसमांदा मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। हैरानी नहीं कि उनकी नजर में वक्फ संशोधन बिल से वक्फ की संपत्तियों के पंजीकरण, सत्यापन, लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और गरीब मुसलमानों को वक्फ के विवादों से मुक्ति मिलेगी। प्राय: मुसलमानों की हर संस्था पर अशराफ वर्ग यानी खुद को विदेशी मूल का मुसलमान कहने वालों का कब्जा है। वे यह नहीं देख पा रहे हैं कि संशोधित वक्फ बिल के प्रस्तावों में महिलाओं के साथ-साथ पसमांदा वर्ग के पिछड़े मुसलमानों के लिए भी ऐसे अहम प्रविधान किए गए हैं, जिनसे महिलाओं-पसमांदा वर्ग के लोगों की बेहतरी की राह खुलेगी। इस कारण ही प्रमुख पसमांदा संगठन- ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज- ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उसका मानना है कि वक्फ बोर्ड पर कुल मुसलमानों के लगभग 15 प्रतिशत आबादी वाले अशराफ (अग्रणी एवं सुविधा संपन्न) मुसलमानों का कब्जा है। अशराफ उलेमा और राजनीतिज्ञ वक्फ संपत्तियों पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं, जबकि 85 प्रतिशत पसमांदा (अति पिछड़ा एवं वंचित) मुसलमानों को वर्षों से मृगतृष्णा दिखाई जा रही है। उन्हें वक्फ संपत्तियों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

राहुल ने बंधे बब्बर शेर कहकर कांग्रेसियों का किया अनादर

कांग्रेस क्यों अपना खोया हुआ जनाधार हासिल नहीं कर पा रही है, इसका पता गुजरात पहुंचे राहुल गांधी के इस विचित्र कथन से मिलता है कि यहां पार्टी के आधे नेता भाजपा से मिले हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हें निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि गुजरात में कांग्रेस के आधे नेता भाजपा से मिले हुए हैं? यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि वह जो कुछ कह रहे हैं, वह सच है तो फिर ऐसे 20-30 नेताओं को पार्टी से निकालने से कौन रोक रहा है। यह पहली बार नहीं है, जब राहुल गांधी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर सवाल उठाकर उन्हें हतोत्साहित किया हो। हैरानी नहीं कि उनके इस बयान के चलते गुजरात के कांग्रेस नेता एक-दूसरे को संदेह की निगाह से देखें और इसके नतीजे में पार्टी के उत्थान की राह और अधिक कठिन हो जाए। यह साधारण बात नहीं कि राहुल गांधी जैसा वरिष्ठ नेता अपने नेताओं की निष्ठा को इस तरह खुलेआम संदिग्ध करार दे। ऐसा लगता है कि वह इससे प्रसन्न नहीं कि उनके नेता उनकी तरह भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आक्रामक नहीं हैं। बेहतर हो कि कोई उन्हें यह याद दिलाए कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी के प्रति उनकी अनावश्यक आक्रामकता का कांग्रेस को कुछ खास लाभ नहीं मिला है। राहुल गांधी इसके पहले यह कह चुके हैं कि कांग्रेस को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरने वाले नेता नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि उन कांग्रेस नेताओं का क्या हुआ, जिनकी नजर में वे कथित तौर पर भाजपा और आरएसएस से डरते थे। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे भाजपा से कांग्रेस में आए कई नेता राहुल गांधी के करीबी रह चुके हैं। गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में बब्बर शेर हैं, लेकिन वे बंधे हुए हैं। समझना कठिन है कि वह कहना क्या चाहते हैं? कहीं वह यह तो नहीं कहना चाहते कि यही बब्बर शेर जैसे कांग्रेस नेता भाजपा से मिले हुए हैं? पता नहीं, उनके कहने का मंतव्य क्या है, लेकिन उन्होंने जिस तरह कांग्रेस नेताओं को बरात के घोड़े सरीखा करार दिया, वह उनका निरादर ही है। इसकी संभवना नहीं कि उनकी ऐसी विचित्र खरी-खोटी से गुजरात के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उत्साहित होंगे। बात केवल गुजरात की ही नहीं है, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस दिशाहीन और उत्साहहीन नजर आती है। इसका मुख्य कारण पार्टी नेतृत्व की दिशाहीनता ही है। यह दिशाहीनता एक लंबे समय से देखने को मिल रही है और इसी कारण कांग्रेस आज उन राज्यों में भी तीसरे-चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है, जो कभी उसके गढ़ थे।

कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की कमी बनी बड़ी वजह

देश में 20 फीसदी फल-सब्जियां बर्बाद

फल और सब्जियों की बर्बादी से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि उपज देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा होता है। आमतौर पर फलों और सब्जियों जरूरी हिस्सा हैं। अगर लोगों में फलों और सब्जियों का उपभोग बढ़े, तो स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां फल और सब्जियों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन, उचित भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण, हर साल लगभग 20 परसेंट फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। फल और सब्जियों की बर्बादी से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। आपूर्ति कम होने से फल और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। फल और सब्जियों की बर्बादी से देश में पोषण सुरक्षा प्रभावित होती है। फल और सब्जियों की बर्बादी को कम करके, हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, महंगाई को नियंत्रित कर सकते हैं और देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत को दुनिया में फलों और सब्जियों का भंडार माना जाता है। यह फलों और सब्जियों की विशाल किस्मों का गुलदस्ता कहा जात है, लेकिन जल्दी खराब हो जाने के कारण किसानों को उनका उचित लाभ नहीं मिल पाता है।

उत्पादन में वृद्धि, बर्बादी पर लगाम नहीं- देश में आलू, टमाटर और प्याज जैसे उत्पादों का अधिक उत्पादन होने के बावजूद, किसानों को अधिकतर समय घाटे का सामना करना पड़ता है। साल 2024-25 में फलों का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 2.48 लाख टन बढ़कर 1132.26 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण आम, अंगूर और केले के उत्पादन में बढोतरी है। सब्जियों का उत्पादन 2023-24 के 2072.08 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 2145.63 लाख टन होने की संभावना है। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूलगोभी और मटर के उत्पादन में बढ़ोतरी की की उम्मीद है।

भारत का सब्जियों के उत्पादन में अहम स्थान

फल सब्जी क्षेत्र में ताजे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के तरीकों की खोज की जानी चाहिए। भारत सब्जियों के उत्पादन में अहम स्थान रखता है। एक शोध के अनुसार, भारत अदरक और भिंडी के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है और आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन और गोभी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। फलों के मामले में भारत केला, आम और पपीते के उत्पादन में अग्रणी है। जमीन में उगाई जाने वाली सब्जियों जैसे कि आलू और प्याज की बर्बादी 4.6 से 15.9 प्रतिशत तक देखी जाती है, जो मुख्य रूप से खुदाई, भंडारण और प्रोसेसिंग में होने वाले नुकसान के कारण होती है।

किसानों को हो रहा नुकसान

विशेष रूप से आलू का उत्पादन 595.72 लाख टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले लाल की तुलना में 25.19 लाख टन अधिक होगा। टमाटर का उत्पादन भी 213.23 लाख टन से बढ़कर 215.49 लाख टन होने की संभावना है, लेकिन सब्जियों के भडारण या कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग सुविधा ना होने से हर साल किसानों को अधिक उत्पादन करने के बावजूद भी नुकसान उठाना पड़ता है।

20 फीसदी फल, सब्जियां बर्बाद

बढ़ते उत्पादन को संरक्षित करना एक बड़ी चुनौती है। भारत की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए नई उपज को संग्रहित करना जरूरी भी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलोर के निदेशक डॉ टीके बेहरा ने बताया कि फल और सब्जियां जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, क्योंकि वे वाष्पोत्सर्जन, ऊतक जीर्णता और फंगस संक्रमण के संपर्क में आते हैं। उनके अनुसार फल सब्जियों की कटाई और बाजार पहुंचने तक की कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसिसिंग की असुविधाओं की कमी के कारण भारत में 15 से 20 फीसदी तक फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं।

कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की कमी

दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 394.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 8,653 कोल्ड स्टोरेज संचालित हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम देश में सभी खाद्य उत्पादों के लिए जरूरी कोल्ड स्टोरेज क्षमता 610 लाख मीट्रिक टन से अधिक होनी चाहिए ताकि फलों और सब्जियों के बढ़ते उत्पादन को संरक्षित किया जा सके। आज भारत का अधिकांश कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर 1960 के दशक में विकसित किया गया था और यह मुख्य रूप से आलू और आलू के बीजों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। वर्तमान में, कुल कोल्ड स्टोरेज क्षमता का लगभग 75 परसेंट केवल आलू के लिए आरक्षित है। इनमें से अधिकांश सुविधाएं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। इसमें भी कोल्ड चेन उद्योग में अधिकांश छोटे और असंगठित हैं, जिन्हें भंडारण के सर्वोत्तम तरीकों की जानकारी कम होती है। देश में फल सब्जियों की अब हर सीजन मांग बढ़ रही है क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सही सप्लाई चेन भंडारण की सुविधा ना होने के कारण किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम नहीं मिल पा रहा है। वहीं, उभोक्ताओं को अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। ऐसे में किसानों के हितों की सुरक्षा और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक जोर देने की जरूरत है।

मोदी कैबिनेट का अहम फैसला-योजना के तहत किसान-पशुपालकों को मिलेंगी जेनेरिक दवाएं

जन की तर्ज पर मवेशियों के लिए अब पशु औषधि केंद्र

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुधन स्वास्थ्य और उनके रोगों के इलाज के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। पशुओं की सेहत और रोगों की रोकथाम के लिए 3,880 करोड़ रुपये का बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने बताया कि 3,880 करोड़ रुपये की लागत से पशुओं के दो प्रमुख रोगों के इलाज और निपटारे पर फोकस किया जाएगा। कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा गया कि पशुधन में दो प्रमुख रोग हैं जो मवेशियों को परेशान करते हैं और जान पर बन आते हैं। ये रोग हैं- खुरपका और मुंहपका रोग यानी एफएमडी और ब्रुसेलोसिस। इन दोनों रोगों के निवारण पर सरकार ध्यान देगी और इसके लिए 3,880 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

टीकाकरण का काम तेज- सरकार इसके लिए टीकाकरण पर केंद्रित कार्यक्रम चलाएगी। कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा गया कि किसानों को घर-घर जाकर सहायता देने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां यानी मोबाइल वेटनरी वैन की सुविधा दी जाएगी। साथ ही सरकारी मशीनरी के जरिये इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस काम की लाइव निगरानी के लिए भारत पशुधन पोर्टल शुरू किया जाएगा।

9 राज्य एफएमडी मुक्त!

कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा पशुओं की दवाओं के लिए की गई। सरकार पशु औषधि स्कीम शुरू करेगी जिसमें क्वालिटी वाली जेनेरिक दवाएं पशुओं के लिए दी जाएंगी। जैसे इंसानों के लिए जनऔषधि परियोजना शुरू की गई है, ठीक वैसे ही पशुओं के लिए भी पशु औषधि की सुविधा शुरू की जाएगी। पशु औषधि को पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिया जाएगा। पशुपालन और इससे जुड़े क्षेत्र में किसानों के बीच पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एथनो-वेटनरी दवाएं दी जाएंगी। कैबिनेट ब्रीफिंग में सरकारी फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम ने पशुधन स्वास्थ्य में सुधार किया है। आज लगभग 9 राज्य एफएमडी मुक्त राज्य होने के कगार पर हैं।

मवेशियों की दवा की सुविधा

जिस तरह लोगों के लिए पीएम जन औषधि योजना चलाई गई है, उसी तरह पशुओं के जेनेरिक दवाओं की योजना पशु औषधि शुरू की गई है जिससे कि किसानों को उनके पशुओं के लिए क्वालिटी जेनेरिक दवाएं दी जा सकें। किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी केंद्रों के माध्यम से ये दवाएं किसानों को दी जाएंगी।सरकार ने पशुधन ज्ञान को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। हमारे देश के इतिहास में पशुधन को रखने का एक पारंपरिक तरीका हुआ करता था जिसे फिर से अमल में लाया जाएगा। इसके ज्ञान के प्रचार प्रसार पर सरकार खर्च करेगी। देश में पहले से या अभी जो भी पशुओं के लिए पारंपरिक दवाएं चल रही हैं, उसे प्रमोट किया जाएगा।

4 बड़े रोगों को शामिल किया जाएगा

ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए 3880 रुपए के खर्च से एक प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें मवेशियों के 4 बड़े रोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें दो रोग सबसे बड़े हैं-खुरपका मुंहपका और ब्रेसेलोसिस। इसके अलावा दो और रोगों को इसमें शामिल किया गया है जिसके निवारण के लिए सरकार प्रोग्राम चलाएगी। इस प्रोग्राम का मकसद है देश में मवेशियों की सेहत में सुधार लाना। इसमें सबसे बड़ा काम टीकाकरण का होगा। अभी तक टीकाकरण के जितने भी प्रोग्राम शुरू हुए हैं, उनके कई फायदे सामने आए हैं। पहला काम वैक्सीनेशन और दूसरा बड़ा काम मोबाइल वेटनरी यूनिट को चलाने का है जिसमें किसानों उनके घर पर पशुओं के टीकाकरण की सुविधा मिल सके। सरकार ने इसके लिए लाइव पशुधन पोर्टल बनाया है जिस पर पशुओं के टीकाकरण की पूरी जानकारी लाइव मिल सकेगी। इसमें पता चलेगा कि कहां कितने पशुओं को टीका लगा और आगे कहां टीका लगने वाला है। इसमें पशुओं पर जियो टैग लगाकर मॉनिटरिंग का काम होगा जैसा कि विकसित देशों में होता रहा है।

एसडीएम से लेकर पटवारी तक चलनी थी कवायद,चलती रही कलेक्टर से लेकर पीएस तक

फाइल श्योपुर से भोपाल अथवा ग्वालियर (भू अभिलेख शाखा) तक ही घूमती रही

फिर शुरू होती दिख रही अपनी जमीनों पर कब्जा हासिल करने के लिए आदिवासियों की क्रांति

श्योपुर। जागत गांव हमार

आदिवासियों की जमीनों पर गैर आदिवासियों द्वारा किए गए कब्जों को हटाने और उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाने का अभियान तो खूब चलता रहा और कलेक्टर स्तर से इस संबंध में आदेश भी जारी होते रहे। लंबे समय से चले आ रहे आदिवासियों के इस आंदोलन का केंद्र बिंदु हमेशा कलेक्टर ही रहे हैं जिन्हें यह कार्रवाई करनी थी लेकिन अधिकतर कलेक्टरों की कवायद आदिवासियों को उनकी जमीनों पर कब्जा दिलाने के लिए कलेक्टर्स निचले स्तर पर (एसडीएम से लेकर पटवारी तक) कार्रवाई करने के बजाय अपने यहां से पीएस तक कार्रवाई की कवायद ही करते रहे हैं जिससे आदिवासियों को अपनी ही जमीनों पर कब्जा दिलाने की फाइल श्योपुर से भोपाल अथवा ग्वालियर (भू अभिलेख शाखा) तक ही घूमती रही, जिससे यह कवायद नो दिन चले अढ़ाई कोस ही साबित हो सकी है। सिर्फ श्योपुर जिले में पदस्थ रहे कलेक्टर पन्ना लाल सोलंकी ने ही ऐसी कार्रवाई की जिसके तहत 507 आदिवासियों की जमीनों को कब्जा मुक्त करा कराकर वापस दिलाने का काम किया गया। इसके अलावा अन्य कलेक्टरों ने फाइलों को कार्रवाई के लिए अपने से सीनियर अधिकारी कमिश्नर और प्रमुख सचिव तक भेजने के अलावा कोई ऐसी कवायद नहीं की जिससे अपनी जमीनों पर मजदूरी करने पर विवश इन गरीब आदिवासी मजदूर से किसान बनते। शासन प्रशासन की इस अरुचि से आदिवासी अपनी जमीनों को वापस लेने के लिए फिर क्रांति के मूड में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आदिवासी एक और लंबा आंदोलन की तैयारी में है। इस तैयारी में जहां हमेशा से उनके साथ रही एक तब परिषद कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। वहीं नवनिर्वाचित आदिवासी विधायक मुकेश मल्होत्रा आंदोलन की अगवाई करने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं।

वर्ष 2015-16 में सहरिया जनजाति के आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए जिले में काम कर रही स्वयंसेवी संस्था एकता परिषद ने आदिवासियों के साथ मिलकर एक अभियान चलाया था जिसमें उन आदिवासियों को चिन्हित किया गया था जिनको सरकार ने खेती-बाड़ी करने के लिए जमीन के पट्टे पर दी थी अथवा दूसरे प्रयोजनों से वे भूमि के मालिक तो थे लेकिन उनकी अपनी जमीनों पर कब्जे किसी और (सामान्य जाति के लोगों) के थे अधिकतर ऐसी जमीनों पर आदिवासी ओपचारिक रूप से काबिज़ तो थे लेकिन मालिक की हैसियत से नहीं बल्कि मजदूर के रूप में। अपनी जमीनों पर आदिवासी खेतिहर मजदूर बनकर काम कर रहे थे।

ऐसे हुई 1058 आदिवासियों को चिन्हित कर 5 जनवरी 2016 को एक ज्ञापन एकता परिषद के माध्यम से आदिवासियों ने तत्कालीन कलेक्टर को सोपा था। इस आंदोलन में सैकड़ों आदिवासियों ने करीब एक माह तक पदयात्रा की थी हर गांव से लोगों को जोड़ने और पद यात्रा करने से पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी तब सरकार के निर्देश पर उक्त ज्ञापन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे तब ज्ञापन को सरकार ने भू अभिलेख आयुक्त ग्वालियर को भेजते हुए आदिवासियों को उनकी जमीनों पर काबिज कराने के लिए बेजा कब्जे ओर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तब से लेकर अब तक आदिवासी और उनके हितों के लिए संघर्ष कर रही एकता परिषद भू अभिलेख और श्योपुर एवं प्रमुख सचिव के बीच ज्ञापन देकर काम को आगे बढ़ाने की मांग करती आ रही है।

शिवराज के निर्देश पर मुक्त कराई थी 507 आदिवासियों की 800 हेक्टेयर भूमि

5 जनवरी 2016 को आदिवासियों ने संगठित होकर एक पदयात्रा निकाली जो जिले के हर गांव (खासकर कराहल विकासखंड) से होकर गुजरी थी।इस पदयात्रा में सैकड़ो आदिवासी शामिल हुए जिन्होंने अपनी जमीनों पर अपना अधिकार मांगते हुए जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा था जिसमें में 1058 आदिवासियों की करीब 4 हजार बीघा भूमि विभिन्न गांवों ऐसी चिन्हित की थी जो नाम तो आदिवासियों के थी लेकिन उन पर कब्जा किसी ओर का था दिसंबर 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर तत्कालीन कलेक्टर पीएल सोलंकी के नेतृत्व में की गई कारवाई 507 आदिवासियों की करीब 800 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। बस यही एक कार्रवाई ऐसी हुई थी जो जिस पर आदिवासी और आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था एकता परिषद संतोष जताती है। इतने ही आदिवासियों की ज़मीन को अभी भी कब्जादारों से मुक्त कराने के लिए आदिवासी और एकता परिषद संघर्ष कर रही है।

जब कलेक्टर ने खुद ट्रैक्टर चलाकर मुक्त कराई जमीन

कराहल विकासखंड में आदिवासियों की जमीनों पर बड़ी संख्या में गैर आदिवासियों के कब्जे हो रहे हैं। इसकी शिकायत तो मिलती रहती थी लेकिन यह शिकायत सिर्फ शासन प्रशासन के बीच सूचना का आदान-प्रदान तक सीमित रही। कार्रवाई कभी नहीं हुई लेकिन पहली बार कारवाई तत्कालीन कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी ने की तब प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें भी है डर दिखाया कि आदिवासियों की जमीनों पर जिनका कब्जा है वह बेहद प्रभावशाली हैं और अपनी जमीनों को बचाने के लिए अफसरों की हत्या भी कर सकते हैं। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों में विश्वास जाग्रत करने के उद्देश्य से तत्कालीन कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी ने खुद अभियान का नेतृत्व करते हुए जमीन कब्जे से मुक्त कराने के लिए खुद ट्रैक्टर चलाकर उन फसलों को भी रौंदकर कब्जे हटाए जिन पर दबंगों ने कब्जा कर खेती-बाड़ी की हुई थी। तब कलेक्टर सोलंकी की इस कार्रवाई की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई थी तब सीएम रहे शिवराज सिंह ने भी उनकी खूब प्रशंसा की थी। यही कारण रहा कि जिले में पन्नालाल सोलंकी ही एक ऐसे आईएएस रहे जो दो बार बतौर कलेक्टर श्योपुर जिले में पदस्थ हुए।

भू माफिया के लिए वरदान बनी दस्यु समस्या

सहरिया आदिवासियों की जमीनों पर दस्यु समस्या के समय में अधिक कब्जा किया गया। दरअसल कराहल आदिवासी विकासखंड होने के चलते यहां पर आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को ट्रांसफर नहीं किए जाने का नियम है लेकिन इस नियम की तोड़ भू माफिया राजस्व अमले से मिलकर करता रहा है। राजस्व अमला खसरों में लंबे समय तक संबंध किसान की जमीन को पड़त बताकर कर उक्त लोगों को हस्तलिखित खसरा मुहैया करा देता था जो जमीन आदिवासी की थी, इसी आधार पर माफिया उक्त सहरिया आदिवासी को नाम मात्र के रुपए देकर उससे जमीन पर कब्जा छोड़ने ओर गांव से हमेशा के लिए पलायन कर जाने का शपथ पत्र लिखवा लेते थे। जिसके आधार इस क्षेत्र में जमीन आदिवासी के नाम से गैर आदीवासी के नाम खसरे में चढ़ाई जाती रही। आश्चर्य की बात तो यह रही कि कराहल विकासखंड में आदिवासियों की हजारों बीघा जमीन गैर आदिवासी के नाम ट्रांसफर हो गई लेकिन किसी भी आदिवासी की जमीन दूसरे आदिवासी के की ट्रांसफर नहीं की गई।

कमलनाथ के समय चला आंदोलन नेता आए विरोध में

पन्नालाल सोलंकी के अलावा सिर्फ प्रतिभा पाल जिले की ऐसी कलेक्टर रहीं जिन्होंने आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों से मुक्त कराने का काम किया। दरअसल कमलनाथ सरकार के समय भू माफिया से जमीन मुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत कराहल विकासखंड में भी बड़ी संख्या में ऐसे गैर आदिवासियों से आदिवासियों की जमीनों को मुक्त कराया गया जो राज्य से बाहर के थे। हरियाणा पंजाब से आए ऐसे लोगों की जमीनों को प्रशासन ने बुलडोजर चला कर जमींदोज किया इस दौरान घर मकान भी तोड़ दिए गए। इसके बाद ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ कि नेता सारे प्रशासन के विरोध में आ गए कार्रवाई को रोकना पड़ा बाद में कमलनाथ सरकार गिर गई तो जो कार्रवाई की गई थी वह नाकाफी ही साबित हुई।

विधानसभा प्रश्न में लगाकर मांगी जानकारी

आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों से मुक्त कराने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की गई इस संबंध में कराहल विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश मल्होत्रा ने विधानसभा प्रश्न लगाया है। याद रहे कि विधायक मुकेश मल्होत्रा आदिवासी समाज के ऐसे नेता है जिन्होंने आदिवासियों की जमीनों को मुक्त करवाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। वह कई बार ऐसे आंदोलन कर चुके हैं जो प्रदेश स्तर पर चर्चित हुए हैं। आदिवासियों ने उन्हें इसी उद्देश्य से अपना नेता भी चुना है कि वह विधानसभा में जाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे और शायद वह अपने आदिवासी भाइयों का वही विश्वास विधानसभा में हासिल करना चाहते हैं हालांकि सरकार की ओर से पूंछे गए प्रश्न का अभी जवाब नहीं आया है लेकिन इस मामले में प्रश्न का जवाब देने में प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि विधायक द्वारा जो प्रश्न लगाया गया उसमें आदिवासी के नाम जमीन पर किस व्यक्ति का कब्जा है और जब वह जमीन ट्रांसफर की गई थी तब वहां तहसीलदार पटवारी आरआई कौन थे आदि की जानकारी मांगी है अगर गड़बड़ी हुई तो इन अधिकारियों का निपटा भी तय है।

लंबे समय बाद जमीनी स्तर चलती दिख रही कारवाई

हालांकि कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी और प्रतिभा पाल के अलावा आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों के कब्जों से मुक्त करने के लिए कोई अभियान जमीन स्तर पर नहीं चलाया गया आदिवासियों से जो ज्ञापन आवेदन मिलते रहे उन्हें शासन को भेजना और शासन से जवाब लेने की कवायत नूरा कुश्ती की तरह चलती रही लेकिन पहली बार इस अभियान में कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जमीन स्तर पर कार्रवाई होती रही अभी तक कलेक्टरों ने आदिवासी या एकता परिषद के आवेदन पर निचले स्तर पर निर्देश जारी नहीं किए थे, लेकिन अब कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर प्रभारी एडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर ने श्योपुर, कराहल एवं विजयपुर एसडीएम को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि पहले भी कई बार इस तरह के निर्देश जारी किए जा चुके हैं लेकिन आदिवासियों की जमीनों पर कब्जे किन लोगों के हैं इसकी जानकारी अप्राप्त ही है आप तत्काल तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अमले के सहयोग से उक्त जानकारी मुहैया कराएं ताकि आदिवासियों की जमीनों पर से घर आदिवासियों के कब्जों को हटाया जा सके। लंबे समय बाद प्रशासन की इस तरह की कवायद देखने को मिली है। इससे ऐसा लगता है कि कलेक्टर अर्पित वर्मा भी जिले में आदिवासियों की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए गंभीर हैं।

5 जनवरी 2016 को हमने आदिवासियों के साथ मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सोपा था जिसमें वो 1058 आदिवासियों की सर्वे सूची सोपी थी तब तत्कालीन कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी ने 507 आदिवासियों की करीब 800 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई थी। पन्नालाल सोलंकी के ट्रांसफर के बाद यह कवायद रुक गई। इतनी ही आदिवासियों की जमीन अभी भी गैर आदिवासियों के कब्जे में है। एकता परिषद हर माह एक आवेदन कलेक्टर को सौंपती है, लेकिन कलेक्टर आवेदन को भू अभिलेख विभाग भोपाल भेज देते हैं। वहां से पत्र कलेक्टर के पास आ जाता है कलेक्टर के पास से पत्र वापस भू अभिलेख में चला जल जाता है पर जमीनों पर कब्जा छुड़ाने की कार्रवाई नहीं हो रही है। आदिवासियों को उनकी जमीन वापस मिले इसलिए मुझे परमानेंट भोपाल में रहना पड़ रहा है। मैं प्रमुख सचिव से भी कई बार मिलकर निवेदन कर चुका हूं। अब वर्तमान कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर एडीएम ने लंबे समय बाद एसडीएम को पत्र लिखा है, जिससे उम्मीद बंधी है।

रामदत्त सिंह तोमर, प्रदेश संयोजक जन वकालत एकता परिषद

हमने आदिवासियों की जमीनों को छुड़वाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। पन्नालाल सोलंकी जब जिले के कलेक्टर थे तब करीब 800 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के समय भू माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान भी तत्कालीन कलेक्टर प्रतिभा पाल आदिवासियों की जमीनों को मुक्त कराने का काम किया था तब मुझे कई धमकियां मिली थी पर मैंने धमकियों से डरे बिना आदिवासियों की लड़ाई लड़ी थी। कमलनाथ सरकार के गिरने से आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासी से छुड़ाने के अभियान को विराम लगा है। जिन जमीनों को पूर्व में दबंगों से मुक्त कराकर आदिवासियों के सुपुर्द की थी उन जमीनों पर वापस दबंगों ने कब्जे कर लिए है। अब मैंने विधानसभा प्रश्न लगा कर जानकारी मांगी है। इस सरकार की ओर से जवाब आने पर आदिवासियों को लेकर जमीन छुड़ाने के लिए प्रदर्शन करूंगा। जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा। आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों छुड़वाने के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा।

मुकेश मल्होत्रा, विधायक विजयपुर

खेतों में बहार आते ही शहर में बढ़ जाती है गौवंश की संख्या

ढाई लाख की बनी आईडी फिर भी गौवंश निराश्रित

श्योपुर। जागत गांव हमार

आए दिन हम और आप सड़कों पर विचरण करते निराश्रित गौवंश को देखते हैं। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जब किसान गौवंशों के झुंड को हांक कर जंगलों में छोड़ने नहीं जाता हो। निराश्रित गौवंश किसानों से लेकर शहरवासियों के लिए भारी परेशानी का सबब बन गई है। गौ माता के रूप में पूजी जाने वाली इन गायों का उपयोग शायद अब धार्मिक आधार पर कम और राजनीतिक स्तर पर अधिक रह गया है, पर जो निराश्रित गोवंश सड़कों पर भटक रहे हैं दर असल वह निराश्रित न होकर किसी न किसी के द्वारा पाले जा रहे हैं। शायद यह बात बहुत कम लोगों को ही मालूम है कि आजकल विद्यार्थियों को विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से जो अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है वो अपार आईडी गोवंश के लिए बनाने का काम बहुत पहले ही कर लिया गया है। पशुपालन विभाग के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक जिले में ढाई लाख से अधिक गोवंश को विशिष्ट पहचान देने वाला अपार आईडी न सिर्फ बनाई जा चुकी है बल्कि उक्त कार्ड को गोवंश के कान में टैग भी किया गया है जिससे एक मिनट के भीतर बार कोड की तरह मोबाइल से स्कैन कर संबंधित गोवंश की हिस्ट्री (मालिक का नाम, आयु ओर निवास स्थान आदि) हासिल की जा सकती है। मेन बाजार, बंजारा डैम, पाली रोड, शिवपुरी रोड और सब्जी मंडी सहित शहर में ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थल नहीं है जहां पर इन दिनों निराश्रित गौवंश के झुंड बैठे और विचरण करते ना दिख जाए। सब्जी मंडी में तो कई बार इन निराश्रित सांडो के उछाले जाने से कई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, दो लोगों की मौत सांडो के सिंह मारने से हो भी चुकी है। बाजार में लड़ने वाले सांडों के कारण लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान आए दिन उठना पड़ता है। गांव में खेती बाड़ी करने वाले किसानों को इस निराश्रित गौवंश के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से वह गौवंश को जंगलों में ले जाकर छोड़ रहे हैं। पर प्रश्न यही उठ रहा है कि इतनी संख्या में गौवंशों को जंगल में छोड़ा जा रहा है बाजार में भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है आखिर

एक क्लिक से मिल सकती है मालिक की जानकारी

जो गौवंश निराश्रित है और उनके कानों में अपार आईडी कार्ड डले हुए हैं उनके मालिकों की पहचान एक क्लिक से ही हो सकती है। दरअसल कानों में लटके कार्ड को मोबाइल से स्कैन करने पर उसके मालिक का नाम और गांव का पता सहित सभी डिटेल निकल आती है अगर प्रशासन इस और ध्यान दे तो ऐसे फर्जी गोपालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए बहुत हद तक गौवंश को निराश्रित होने से बचाया जा सकता है।

मरने का इंतजार कर रहे मालिक

जिन गौ वंश के यूआईडी कार्ड बनाए गए हैं और इसके बावजूद वह निराश्रित होकर इधर-उधर कचरा खाकर पेट भर रही है उनमें से कईयों के मालिक तो ऐसे हैं जो इन गौवंश को एक रोटी तक देने के बजाय उनके मरने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि वह उनके मरने के बाद उन पर अपना मलिकाना हक जताकर शासन द्वारा दी दिया जाने वाला मुआवजा हासिल कर सके।

कई जगह दिखावा बनी पंचायत स्तर पर खोली गौशालाएं

वैसे तो श्योपुर जिले में तीन दर्जन से ज्यादा गौशालाएं शासन की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर स्वीकृत की गई है। लेकिन इनमें से अभी सिर्फ 14 सरकारी गौशालाएं ही ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित बताई जा रही है। जिनमें से प्रेमसर में बनी गौशाला में एक भी गौवंश नहीं है। इसके अलावा सात अशासकीय गौशालाए भी श्योपुर जिले में संचालित बनी हुई है। इनमें श्री गोपाल गौशाला श्योपुर, आशाराम गौशाला ढेंगदा और रानीपुरा, हांसिलपुर ढोढर, गसवानी, घमलोकी और श्यामपुर में अशासकीय गौंशालाएं संचालित हो रही है। ऐसे में सवाल खडा हो रहा है कि 14 सरकारी और 7 अशासकीय गौशाला संचालित होने के बाद भी काफी संख्या में गौवंश सडको पर क्यों घूम रहा है।

हमने जिले में ढाई लाख से अधिक गौवंश के यूआईडी कार्ड बनाए हैं। इन कार्ड को गौवंश के कान में टैग किया गया है। कार्ड को मोबाईल से स्कैन करने पर संबंधित गौवंश के मालिक की पहचान एक मिनट में की जा सकती है।

डॉ. एसबी दोहरे, उप संचालक पशु पालन विभाग श्योपुर

निराश्रित सांड ले चुके हैं कइयों की जान

शहर में निराश्रित को वंश के झंडों से लोग परेशान है इसके साथ ही निराश्रित सांड बाजारों में साक्षात मौत बनकर घूम रहे हैं। आए दिन किसी न किसी महिला पुरुष को सींगों से उछाल कर सड़क पर फेंक देने घायल कर देने की घटनाएं आम हो चुकी है। इन निराश्रित सांडो के द्वारा लोगों को सींगों से उछालने से कई मौत भी हो चुकी है इन सांडो को पकड़ने और उन्हें लोगों से दूर करने के लिए फिलहाल कोई गौशाला ऐसी दिखाई नहीं पड़ती जहां इन्हें छोड़ा जा सके। अलबत्ता गांव देहात से आए किसान जरूर इन निराश्रित गो वंश के झंडों को किसान डंडों से हांक कर जंगल में ले जाते जरूर दिखाई पड़ते हैं।

मार्च से 10 अप्रैल तक जरूर कर दें बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

वसंत मूंग की बुवाई का समय शुरू होने वाला है. इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त समय 10 मार्च से 10 अप्रैल तक है। साथ ही उड़द की बुवाई का सही समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। किसानों के पास उड़द की बुवाई के लिए भी समय बचा है। इसलिए जितनी जल्द हो सके, यह काम पूरा कर लें। जिन किसानों ने सरसों, गेहूं और आलू की कटाई कर ली है, वे मूंग और उड़द की फसल को लगा सकते हैं। किसानों को ऐसी किस्में लगानी चाहिए जो 70-80 दिनों में तैयार हो जाए। किसान मूंग और उड़द की 60-65 दिनों में तैयार होने वाली किस्मों को 15 अप्रैल के बाद बो सकते हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों फसलों की बुवाई देर से नहीं करनी है क्योंकि इससे पैदावार घट सकती है। देर से बुवाई करने पर खेत में नमी की कमी हो जाती है जिससे फसल की वृद्धि कम हो जाती है। मूंग और उड़द की देर से बुवाई करने पर अगली फसल में भी देरी हो सकती है और इससे फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। मूंग और उड़द की अधिक पैदावार लेने के लिए किसानों को अच्छी और क्वालिटी वाली किस्में लगानी चाहिए। किसान मूंग की उन्नत प्रजातियां जैसे-पूसा 1431, पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा 672, पूसा विशाल, केपीएम 409-4 (हीरा), वसुधा (आईपीएम 312-20), सूर्या (आईपीएम 512-1), कनिका (आईपीएम 302-2), वर्षा (आईपीएम 2के 14-9) आदि लगा सकते हैं। उड़द की उन्नत प्रजातियां जैसे-पीडीयू 1 (वसंत बहार), केयूजी 479, मुलुंद उड़द 2 (केपीयू 405), कोटा उड़द 4 (केपीयू 12-1735) और सुजाता प्रमुख हैं। इन किस्मों को लगाने से पहले बीजों का उपचार जरूरी है क्योंकि कवक और जीवाणु से रोग पैदा हो सकते हैं जिससे पैदावार को नुकसान होगा। बीजों को कवकनाशी से उपचारित करना जरूरी होता है। इसके लिए उड़द और मूंग के प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम से उपचार करने के बाद रोइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करना चाहिए। मूंग और उड़द की बुवाई के समय खेत में बीज डालने से पहले सल्फर धूल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया से बीज का उपचार करना भी जरूरी होता है।

-एनजीओ के साथ मिलकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा काम

एनडीडीबी मप्र सहित 15 राज्यों में लगाएगा 10 हजार बायोगैस प्लांट

भोपाल। जागत गांव हमार

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और बैंगलोर के एक एनजीओ %सस्टेन प्लस' ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मिलकर सर्कुलर डेयरी कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत दोनों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार सहित देश के 15 राज्यों में 10,000 बायोगैस प्लांट लगाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) की ओर से नई दिल्ली में आयोजित डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला में किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। सर्कुलर डेयरी कार्यक्रम के माध्?यम से सरकार जलवायु-स्मार्ट डेयरी गांव बनाने और देशभर में स्केलेबल (विस्तार योग्य) और टिकाऊ खेती

के तरीकों को तैयार करना है। एनडीडीबी और सस्टेन प्लस को अगले चार सालों में 15 राज्यों में लगाए जाने वाले 10,000 बायोगैस डाइजेस्टर से सालाना 3 लाख टन जैविक घोल बनने की उम्मीद है। यह घोल मिट्टी की सेहत में सुधार लाएगा और रासायनिक खादों की जरूरत में कमी आएगी। ये प्लांट्स हर साल 7 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा बायोगैस तैयार करेंगे। जिससे गांव में रहने वाले 10,000 परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन मिलेगा।

फॉस्फेट की जगह लेगी जैविक खाद- उक्त फायदों के अलावा, इस प्रोग्राम से हर साल लगभग 60,000 टन फॉस्फेट युक्त जैविक खाद बनेगी। यह खाद रासायनिक फॉस्फेट खाद की समान मात्रा को रिप्लेस कर इसकी जगह लेगी, जिससे सस्ती और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम से डेयरी किसानों को सीधे फायदा होगा और उन्हें बेहतर खाद प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और बेहतर डेयरी बुनियादी ढांचे के लिए मदद मिलेगी।

आय के नए अवसर पैदा होंगे

यह प्रोग्राम बायोगैस प्लांट्स, सौर ऊर्जा से चलने वाले डेयरी संचालन और कुशल दूध संग्रह प्रणालियों को साथ जोड़कर, इनपुट लागत को कम करने में मदद करेगा। साथ ही डेयरी किसानों के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने, गांव में रहने वाले परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन देने और जैविक खाद और कार्बन क्रेडिट के जरिए आय के नए अवसर पैदा करने में मदद करेगा।

सस्टेन प्लस 2021 से साथ

एनजीओ सस्टेन प्लस के डायरेक्टर गणेश नीलम ने कहा कि साल 2021 से, एनडीडीबी के साथ हमारी साझेदारी ने गोबर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और इसका विस्तार करके डेयरी वैल्यू चेन को एकीकृत करने की क्षमता का निर्माण करके दिखाया है। नीलम ने कहा कि एनडीडीबी के साथ हमारा नए प्रोजेक्ट का उद्देश्य डेयरी किसानों, खासकर महिलाओं को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर बायो-स्लरी बनाने के लिए पहुंच प्रदान करना और सशक्त बनाना है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में बोले-बहनें खुश तो मेरी जिंदगी सफल

कृषि मंत्री शिवराज ने कहा-हम तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाने का पूरा करेंगे लक्ष्य

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बहनों, लखपति दीदीयों के साथ भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। साथ ही शिवराज ने महिलाओं से बातचीत कर उनके अनुभव सुने। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहनें खुश हैं तो मेरी जिंदगी सफल है। हम जल्द तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। विकसित भारत में हमारी बहनों का बड़ा योगदान होगा। शिवराज ने कहा कि भारत में हजारों साल पहले कहा गया है कि जहां मां, बहन-बेटी को मान-सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता है, वहीं देवता भी वास करते हैं।

बहन-बेटियां देवी स्वरूपा - शिवराज ने कहा कि हमारे लिए बहनें और बेटियां देवी स्वरूपा हैं। महिला सशक्तिकरण पीएम मोदी का संकल्प है- हमारी बहनों का, बेटियों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण और सबसे जरूरी आर्थिक सशक्तिकरण है। हमारी बहनें गरीब क्यों रहें, उनकी आंखों में आंसू क्यों हों, वो मजबूर क्यों रहें, वह भी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहे। इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग का आजीविका मिशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

देश में 91 लाख महिला स्व-सहायता समूह

शिवराज ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आजीविका मिशन के तहत आज पूरे देश में 91 लाख महिला स्व-सहायता समूह हैं। जिनसे लगभग 11 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है। 745 जिलों के 7 हजार 138 ब्लॉक्स में ये समूह फैले हुए हैं। हमारे क्लस्टर लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जो इन समूहों को संगठित करने का काम करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इन समूहों और संस्थाओं को 50 हजार करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। 50 हजार करोड़ रुपये की जो राशि इन समूहों को दी गई है, वह सहायता है। लेकिन इसके अलावा सस्ती ब्याज दर पर 10 लाख 14 हजार करोड़ बैंकों से भी दिलाए गए हैं। इन पैसों से हमारी बहनों ने कई काम शुरू किए हैं।

सवा करोड़ लखपति दीदी बनीं

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, आज जो मेरी लखपति दीदियां खड़ी हैं, कोई बैंक सखी है, कोई कृषि सखी है, कोई टैक्स सखी है, कोई पशु सखी है ये अलग-अलग कामों में लगी हुई हैं। हमारी ये बहनें हजारों तरह के काम कर रही हैं। वर्तमान में सवा करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी और बनानी है। बहुत जल्द हम ये लक्ष्य हासिल करेंगे और तीन करोड़ दीदियां, लखपति दीदी होंगी।

हम यहां रुकेंगे नहीं

शिवराज ने कहा कि, हम यहां रुकेंगे नहीं, हर बहन और बेटी को अभी भी आजीविका मिशन से समूहों से जोड़ेंगे। बहनें गरीब नहीं रहेंगी, वो काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी, भारत और अपने गांव को आगे बढ़ाएंगी। आज ये बहनें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई है, बल्कि समाज में इनका मान-सम्मान, इज्जत बढ़ी है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है।

विकसित भारत में बहनों का अहम योगदान होगा

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से बहन-बेटियों का शैक्षणिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। अब अगले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में 33 प्रतिशत सीटों पर यह बहनें ही चुनाव लड़ेंगी। ये सांसद, विधायक, मंत्री बनेगी, बहनों, बेटियों की तकदीर भी बदलेंगी और अपनी जिंदगी भी बदलेंगी और अपने देश को विकसित भारत के रूप में विकसित भारत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।

टीकमगढ़ में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र के मुहारा गांव में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया गया है। यहां एक एकड़ जमीन पर लगाई गई अफीम को जब्त कर नष्ट किया है। कार्रवाई जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम के नेतृत्व में की गई। इसमें आसपास के थानों की पुलिस टीम भी शामिल रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अफीम की फसल को नष्ट किया। फसल की कटाई पुलिस की निगरानी में की गई। पुलिस ने खेत मालिक की तलाश शुरू कर दी है। जब्त की गई अफीम की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। मामले की जांच जारी है। अवैध खेती में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जतारा एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि नष्ट की गई अफीम की फसल की सही कीमत का आकलन किया जा रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि किस कब से यह अवैध धंधा कर रहा था।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डद्धड्ढद्दiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncguptabau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

वर्ष-2025: भारत में सहकारी आंदोलन का नया युग

भोपाल। भारत में सहकारी आंदोलन के लिए वर्ष 2025 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने वाला है। इसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के रूप में मनाया जाएगा, जिसे भारत के सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के संयुक्त प्रयासों से नए आयाम प्राप्त होंगे। इस वर्ष का आयोजन सहकारी मूल्यों को बढ़ावा देने और भारत में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्षों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है।

इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, उन्होंने पैक्स के लिए नए मॉडल बायलॉज को लागू किया, जिससे देश के लाखों किसानों को लाभ हो रहा है। शाह का मानना है कि सहकारिता भारतीय समाज के लिए एक मजबूत आर्थिक स्तंभ साबित हो सकती है, और यह विश्वास उन्हें सहकारी समितियों के निर्माण और उनका विस्तार करने में प्रेरित करता है। यह मंत्रालय भारत की सहकारी भावना को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य सहकार से समृद्धि है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)